

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9704/2015-16/385

दिनांक:-04/03/16

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके मांग पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (03)-बालकों के लिए प्रा.वि., [00]-सामान्य व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना मिन व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र. स.	आफि स आई. डी.	कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1	1580	जि.शि.अ. प्रा.शि. अजमेर	45,599/-	श्री टेकचन्द गोमा, स.क., रा.उ.प्रा.वि. सेवामण्डी नसीराबाद के हृदय रोग उपचार पर हुए व्यय पुनर्भरण हेतु।
2	1569	जि.शि.अ. प्रा.शि. बीकानेर	1,48,950/-	श्रीमती रजनी पुरोहित, अ. रा.बा. बाठिया प्रा.वि. भीनासर के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय पुनर्भरण हेतु।
		योग	1,94,549/-	

(अंक रूपये एक लाख चौनवे हजार पांच सौ उनचास मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है जो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(14)एफ.डी./रूल्स/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती
5. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी